Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

चोरूराम बनाम राधादेवी वगै

किस्म मुकदमा:– अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

नं. मुकदमा.....86/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/05/24	आज यह पत्रावली प्राथ्री की ओर से एडवोकेट भानुप्रताप शर्मा द्वारा पेश की गई । सरिस्ते से रिपोर्ट बाद प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील प्रार्थी के निवेदन पर एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी की बहस प्रार्थनापत्र एवं संलग्न शपथ पत्रों पर विश्वास करते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी हो कि प्रतिवादीगण 1 आगामी तारीख पेशी तक वादगत भूमि मौजा रोही लूनकरनसर के खसरा नम्बर 1843/1795 रकबा 0.3263 हैक्टेयर व 1897/1476 के रिकॉर्ड व पंजीयन की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी सीपीसी आदेश 39 नियम 3 की पालना करें। यह आदेश भारतमाला प्रोजेक्ट से सम्बन्धित भूमि, सरकारी रास्ता एवं रोडा एक्ट से प्रभावी भूमि के सम्बन्ध में प्रभावी नहीं होंगे। इसमें यदि अप्रार्थीगण को कोई उज्र या ऐतराज हो तो नियत पेशी को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें। तहरीर अलग से जारी होकर पत्रावली आयन्दा वास्ते तलबी दिनांक 26.06.2024 को पेश हो। Jayendra	
17/05/24	पत्रावली पेश हुई। [illegible] उप. वास्ते जवाब......आयन्दा दि... 28/5/24 को पेश प्रा.पत्र शीघ्र सुनवाई S.D.O. Jayendra	
28/05/24	पत्रावली पेश हुई। [illegible] उप. वास्ते..जवाब....आयन्दा दि.. 31.05.24 को पेश हो प्रा.पत्र Jayendra S.D.O.	
31/05/24	पत्रावली [illegible] फरीकेन उप. वास्ते..जवाब...आयन्दा दि...19.06.24 को पेश हो प्रा.पत्र Jayendra S.D.O.	
19/06/24	पत्रावली पेश हुई। चूंकि मूल दावा फैसल हो चुका है अतः इस पत्रावली का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रा.पत्र फैसल शुमार हो मूल दावे से संलग्न रहे।	(मुहर: उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर)

Jayendra
उपखण्ड अधिकारी